(46)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर शिविर, भोपाल

प्र0क्र0 : निगरानी............../ 17 बैतूल

FBR/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2017/2021

(1) **आनंदराव** पिता स्व0श्री मारोति कुनबी
(2) **वामनराव** पिता स्व0श्री मारोति कुनबी
(3) **किशनराव** पिता स्व0श्री मारोति कुनबी
(4) **गुनवंतराव** पिता स्व0श्री मारोति कुनबी
निवासी धामनगांव, तहसील भैंसदेही
जिला बैतूल म0प्र0
(5) **भगवत** पिता श्री गणपति जाति कुनबी
निवासी जावरा तहसील आठनेर
जिला बैतूल म0प्र0
(6) **श्रीमती गुन्ता** पिता स्व0श्री मारोति कुनबी
पत्नि श्री यशवंत राव कनाठे
निवासी विजयग्राम, तहसील भैंसदेही
जिला बैतूल म0प्र0
(7) **श्रीमती सकूबाई** पिता स्व0श्री मारोति कुनबी
पत्नि श्री सहादेव चढ़ोकार
निवासी ठानी, तहसील आठनेर
जिला बैतूल म0प्र0
(8) **श्रीमती बकुबाई** पिता स्व0श्री मारोति कुनबी
बेवा श्री टेनू वागद्रे
निवासी बाकुड़, तहसील भैंसदेही,
जिला बैतूल म0प्र0 ---- **निगरानीकर्तागण**

विरूद्ध

(1) **रामराव** पिता श्री पाण्डुरंग कुनबी
निवासी जावरा, तहसील आठनेर
जिला बैतूल म0प्र0
(2) **श्रीमती कामिना बाई** पिता स्व0श्री मारोति कुनबी
बेवा श्री किशोरी कवड़कर
निवासी खण्डारा जावरा, तहसील व
जिला बैतूल म0प्र0 ---- **प्रत्यर्थीगण**
(3) **जयराम** पिता श्री दशरथ कुनबी
(4) **तुकाराम** पिता श्री दशरथ कुनबी
निवासी जावरा, तहसील आठनेर
जिला बैतूल म0प्र0 ---- **आवश्यक पक्षकार**

निरंतर...2...

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र भू-राजस्व संहिता-1959

महोदय,

विद्वान तहसीलदार महोदय, आठनेर द्वारा राजस्व प्र0कं0--10 / अ-27 / 16-17 में पारित आदेश दिनाँक 15.06.2017 जिसके द्वारा उन्होंने निगरानीकर्तागण एवं आवश्यक पक्षकार के आपत्ति आवेदन पर आदेश पारित किये बगैर फर्द बटान प्राप्त की है, से दुःखित एवं असंतुष्ट होकर यह निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / बैतूल / भू.रा. / 2017 / 2029

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–7–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 15–6–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा फर्द बटान पर आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों के सम्बन्ध में सकारण आदेश पारित करते हुए निराकरण किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । आवेदक को व्यवहार न्यायालय से स्थगन लाने के लिए कहा गया है । फर्द बटान पर भी उसे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	